राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांकः–न्याय / कोरोना / 2020 / 4241 दिनांक 01/07/2020

आदेश अन्तर्गत धारा 144 भादस

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक न्याय / कोरोना / 2020 / 3372 दिनांक 01.06.2020 को प्रत्याहरित किया जाकर गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9 / 2019 दिनांक 30.06.2020 के द्वारा अनलॉक–2 (1 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020) के लिए जारी निर्देशें के अनुसरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन को सख्त निषेध किया जाता है। यह प्रतिबंध निम्न पर लागू नहीं होगाः–

1. पुलिस / जिला प्रशासन / सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पर हैं।
2. चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा / पैरा मेडिकल स्टाफ (राजकीय / निजी) पारी / आपातकालीन ड्यूटी पर।
3. IT और ITeS कम्पनियों का स्टाफ
4. औद्योगिक इकाईयां / निर्माण गतिविधियां जो पारियों में संचालित होती हैं।
5. चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिये कोई भी व्यक्ति।
6. दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ।
7. राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन।
8. एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन या बस स्टैण्ड से व्यक्त्यिों के घर / गन्तव्य स्थान तक आवागमन।
9. ट्रक / माल वाहक वाहन जो माल, निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहें या खाली लौट रहे हों, का आवागमन।

इसके अतिरिक्त निम्न गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक पूर्णतः निषिद्ध रहेंगीः–

1. सभी विद्यालय / महाविद्यालय / शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक / कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई 2020 तक बन्द रहेंगे। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। तथापि केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई 2020 से कार्य कर सकेंगे और भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रकिया की अनुपालना करेंगे।
2. सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार (होटल, रेस्टोरेंट और क्लब जिनको पहले से ही खुला रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के अलावा) ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
3. शहरी / नगरीय निकाय क्षेत्रों में धार्मिक स्थल / पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बडे स्थान जहां लॉकडाउन से पूर्व की अवधि में प्रतिदिन आने जाने वालों की औसत संख्या 50 से अधिक थी, जनता के लिए बन्द रहेंगे।
4. सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / अकादमिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य सभाऐं एवं बडे सामूहिक आयोजन।

तथापि,

तथापि,
विवाह सम्वंधी आयोजन, आयोजकों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :

1. उपखण्ड मजिस्ट्रेटों को पूर्व सूचना देनी होगी।
2. कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
3. अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी।

यह आदेश आज दिनांक 01.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

(आर.के.जायसवाल)IAS
जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर

क्रमांक: न्याय / कोरोना / 2020 / 4241 दिनांक :- 01/07/2020

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. अति० मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर
2. अति० मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव महोदय, गृह विभाग राजस्थान जयपुर
4. शासन सचिव, आपदा प्रवन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
5. संभागीय आयुक्त महोदय, भरतुपर
6. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, भरतपुर
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
8. जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर
10. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
11. उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, धौलपुर / बाडी / बसेडी / राजाखेडा / सैंपऊ / सरमथुरा
12. उप पुलिस अधीक्षक, धौलपुर / बाडी / मंनिया / सैपऊ / सरमथुरा
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला धौलपुर
14. तहसीलदार धौलपुर / बाडी / बसेडी / राजाखेडा / सैपऊ / सरमथुरा / मंनिया
15. समस्त थानाधिकारी जिला धौलपुर
16. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
17. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, धौलपुर
18. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर / पुलिस अधीक्षक / समस्त उपखण्ड / समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर